न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 169/2022(GCMS : 2022/249)

पीरामल केपीटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, शाखा श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

1. **श्री संदीप मीणा** पुत्र श्री रामनिवास मीणा निवासी वार्ड नं. 1, 8 एलएलजी, लालगढ़, गांव पोस्ट लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर **अहाता नं. 608,** साउथ पार्ट, रवि चौक, पुरानी आबादी, सरकारी स्कूल नं. 9 के पास, श्रीगंगानगर **ऑफिस पता** – मेन बस स्टैंड, बनवाली गंगानगर
2. **श्रीमती प्रभाती देवी** पत्नी श्री रामनिवास मीणा, निवासी वार्ड नं. 1, 8 एलएलजी, लालगढ़, गांव पोस्ट लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

14.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अधिवक्ता श्री राकेश कुमार ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 10.10.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण संदीप मीणा एवं प्रभाती देवी को ऋण सुविधा के रूप में 14,74,106/– रूपये (अखरे रूपये चौदह लाख चौहत्तर हजार एक सौ छः मात्र) का ऋण दिनांक 28.11.2017 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण प्रभाती देवी एवं संदीप मीणा द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति अहाता नं. 608 (क्षेत्रफल 1302 वर्गफीट)साउथ पार्ट रवि चौक, पुरानी आबादी, सरकारी स्कूल नं. 9 के पास, श्रीगंगानगर, में स्थित आवासीय जायदाद मय समस्त पार्टस एवं पार्सल, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने **अप्रार्थीगण संदीप मीणा एवं प्रभाती देवी को 14,74,106/–लाख रूपये** के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 28.11.2017 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण प्रभाती देवी एवं संदीप मीणा ने अपनी **अचल सम्पत्ति** अहाता नं. 608 (क्षेत्रफल 1302 वर्गफीट)साउथ पार्ट रवि चौक,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:03:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पुरानी आबादी, सरकारी स्कूल नं. 9 के पास, श्रीगंगानगर, में स्थित आवासीय जायदाद मय समस्त पार्टस एवं पार्सल, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 10.12.2020 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 17.05.2021** को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 28.05.2021 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध **है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थीगण प्रभाती देवी एवं संदीप मीणा की **अचल सम्पत्ति अहाता नं. 608 (क्षेत्रफल 1302 वर्गफीट)साउथ पार्ट रवि चौक, पुरानी आबादी, सरकारी स्कूल नं. 9 के पास, श्रीगंगानगर, में स्थित आवासीय जायदाद मय समस्त पार्टस एवं पार्सल,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:03:43 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के नोटिस 17.05.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 17.05.2021 को 60 दिवस में

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अ**प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 28.05.2021 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणियों प्रभाती देवी एवं संदीप मीणा के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पीरामल कैपीटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थीगण ऋणियों प्रभाती देवी एवं संदीप मीणा **द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति अहाता नं. 608 (क्षेत्रफल 1302 वर्गफीट)साउथ पार्ट रवि चौक, पुरानी आबादी, सरकारी स्कूल नं. 9 के पास, श्रीगंगानगर, में स्थित आवासीय जायदाद मय समस्त पार्टस एवं पार्सल, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.08.22 17:03:43 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर